न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 131/2017

वेदप्रकाश पुत्र श्योपत जाति ब्राहमण निवासी ठण्डी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर।
2. रामप्रताप } पिसरान बृजलाल जाति जाट निवासीगण ठण्डी तहसील रायसिहनगर जिला
3. साहबराम } श्रीगंगानगर । ———रेस्पोंडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
दिनांक 28.06.2017

उपस्थितः—

श्री राजेश बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी

श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

श्री एम.एल. बाना अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 18.12.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पर रा.का.अ. की धारा 251क तहत उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के समक्ष पेश कर चक 27 एन.पी. के मु.न. 46 प.नं. 185/322 के कि.न. 25, 16, 15, 6, 5 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र का जबाव उपतहसीलदार गंजसिंहपुर ने पेश कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सकबा राज भूमि में से स्वीकृत किया जावे। सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 28.06.17 को प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ता के स्थान पर कि.न. 1, 10, 11, 20, 21 में एक—एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये। अपीलांट द्वारा यह

18/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील इस आधार पर पेश की है कि उसके द्वारा जो रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया था वही स्वीकृत किया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस रास्ता की मांग की गई थी उसे स्वीकृत करने की अनुशंषा स्टेट द्वारा अपने जबाव में दी थी अधी. न्यायालय द्वारा रकबा राज में से रास्ता स्वीकृत किया गया है एवं अपीलांट द्वारा रकबा राज में रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश में संशोधन कर जो रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया था उसे स्वीकृत किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने जिस रास्ता की मांग की है वह भूमि रेस्पो. के पिता को अस्थाई काश्त पर आवंटित है एवं पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में इस भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता था एवं अधी.न्यायालय ने जो रास्ता स्वीकृत किया है वह उचित है। अतः अपील खारिज की जावे ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया ।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 28.06.2017 के विरूद्ध पेश की है जिसमें अपीलांट का रास्ता स्वीकृत का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर आवेदित रास्ते के बजाये दूसरा रास्ता स्वीकृत किया है जो प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार के बजाय पूर्ण रूपेण स्वीकार योग्य होकर आवेदित रास्ता स्वीकृत करने हेतु अधी.न्यायालय का निर्णय अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अपीलांट द्वारा आवेदित व अधी.न्यायालय द्वारा स्वीकृत रास्ता दोनों की भूमि रकबा राज है परन्तु अधी. न्यायालय द्वारा आवेदित रास्ते के लिए रेस्पो. की यह आपत्ति है कि यह आराजी उनके पूर्वज के नाम अस्थाई काश्त पर आवंटन नही है तथा अस्थाई आवंटन से पुख्ता आवंटन का प्रा.पत्र विचाराधीन है, अधी.न्यायालय की पत्रावली पर रेस्पों. बृजलाल का पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट

19/12/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

के बिन्दु संख्या 4 में अंकित है कि यह रकबा डिकोलोनाइजेशन में है जो अस्थाई काश्त से पुख्ता आवंटन उपनिवेशन कानूनों में आवंटन होता है जो डिकोलोनाइजेशन में आने के बाद पुख्ता आवंटन नहीं हो सकता। अतः रकबा राज पर रेस्पो. का अगर कोई कब्जा है तो उसका status अतिकमी का है जो बेदखली योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अपास्त कर अपीलांट द्वारा आवेदित चक 27 एन.पी.ए. के मु.न. 46 प.न. 185/322 में कि.नं. 25, 16, 15, 6, 5 में दो–दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष शर्ते अधी.न्यायालय के विवेचन अनुसार यथावत रहेगी।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/12/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर